



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-299

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 289181 दिनांक 25/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nutan Dhakad W/o OM PRAKASH DHAKAD	श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्रीनारायण चौधरी	1	117.19 SQ. METER	Private	GANGA ENCLAVE-VI VISTAR	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना गंगा एनक्लेव -VI विस्तार क्षेत्रफल 117.19 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 07.10.2022 को श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्रीनारायण चौधरी के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.05.2023 को श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्रीनारायण चौधरी के द्वारा श्रीमती श्यामलता पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नि श्री जगदीश नारायण शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बैचान जरिये  
रजिस्टर्ड विक्रय  
पत्र दिनांक  
19.01.2024 को  
श्रीमती श्यामलता  
पत्नि श्री जितेन्द्र  
कुमार शर्मा एवं  
श्रीमती ग्यारसी  
देवी पत्नि श्री  
जगदीश नारायण  
शर्मा के द्वारा  
श्रीमती नूतन  
धाकड पुत्री श्री  
ओमप्रकाश धाकड  
के पक्ष में कर  
दिया गया।  
(आवेदिका श्रीमती  
नूतन धाकड  
द्वारा प्रस्तुत  
शपथ पत्र के  
आधार पर पति  
का नाम श्री  
रूपकिशोर सिंह  
धाकड एवं पिता  
का नाम  
ओमप्रकाश धाकड  
है।) उक्त भूखण्ड  
में एक से अधिक  
बैचान होने के  
कारण प्रकरण में  
सार्वजनिक  
विज्ञप्ति का  
प्रकाशन करवाया  
जाना अपेक्षित है।  
आवेदिका द्वारा  
नाम हस्तान्तरण  
पत्र जारी किये  
जाने हेतु आवेदन  
किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Nutan Dhakad W/o OM PRAKASH DHAKAD को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |